



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 376 ]  
No. 376]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2003/वैशाख 2, 1925  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2003/VAISAKHA 2, 1925

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2003

का.आ. 460(अ).— केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तार, प्रचालनों और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे;

और केन्द्रीय सरकार का ध्यान कच्छ वनस्पतियों के विनाश, भूमिगत जल के समाप्त होने और कतिपय अन्य क्रियाकलापों जिनमें भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से बिना अनुमति लिए बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप पारिस्थितिकी को भारी नुकसान शामिल है, आकृष्ट किया गया है;

और भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे की जांच की गई है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि पारिस्थितिकी को और होने वाले नुकसान से रोकने के लिए उक्त अधिसूचना को संशोधित किया जाना चाहिए;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (4) में यह उपबंध है कि उप नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कहीं केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह उक्त नियम के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को समाप्त कर सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के खंड (क) के उप नियम (3) के अन्तर्गत सूचना की अपेक्षा को समाप्त करना लोकहित में है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 3, उप पैरा (2) में खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (iv) निम्नलिखित को तोड़ना या पुनर्निर्माण करना -

- (1) पुरातत्व या ऐतिहासिक महत्व के भवन;
- (2) विरासत भवन; और
- (3) सार्वजनिक उपयोग के भवन

स्पष्टीकरण:- इस खंड iv के प्रयोजन के लिए 'सार्वजनिक उपयोग' में पूजा स्थल, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल और सांस्कृतिक क्रियाकलाप के प्रयोजनों के लिए उपयोग शामिल है।

(v) पांच करोड़ रूपए या इससे अधिक के निवेश के साथ सभी अन्य क्रियाकलाप;

बशर्ते कि पांच करोड़ रूपए से कम के निवेश वाले सभी क्रियाकलाप इस अधिसूचना के अनुबंध -I के पैरा (2) के पैरा 6 के उपबन्धों के अनुसार राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विनियमित किए जाएंगे।

[फा. सं. जे-17011/16/93-आईए III-भाग-II]

बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- मुख्य अधिसूचना का.आ. 114(अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के तहत प्रकाशित की गई थी और पश्चात् वर्ती संशोधन निम्नलिखित के तहत किए गए थे:-

- |   |  |
|---|--|
| (1) का.आ.595(अ) तारीख 18 अगस्त, 1994    | (7) का.आ.988(अ) तारीख 29 सितम्बर, 1999 |
| (2) का.आ.73(अ) तारीख 31 जनवरी, 1997     | (8) का.आ.730(अ) तारीख 4 अगस्त, 2000    |
| (3) का.आ.494(अ) तारीख 9 जुलाई, 1997     | (9) का.आ.900(अ) तारीख 29 सितम्बर, 2000 |
| (4) का.आ.334(अ) तारीख 20 अप्रैल, 1998   | (10) का.आ.329(अ) तारीख 12 अप्रैल, 2001 |
| (5) का.आ.873(अ) तारीख 30 सितम्बर, 1998  | (11) का.आ.988(अ) तारीख 3 अक्टूबर, 2001 |
| (6) का.आ.1122(अ) तारीख 29 दिसम्बर, 1998 | (12) का.आ.550(अ) तारीख 21 मई, 2002     |
|   | (13) का.आ.52(अ) तारीख 16 जनवरी, 2003   |

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2003

S. O. 460(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.114(E), dated the 19<sup>th</sup> February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared Coastal Stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

And whereas it has been brought to the notice of the Central Government that destruction of mangroves, depletion of ground water and certain other activities involving severe ecological damages have been caused as a result of large sized projects being implemented without clearance from the Government of India in the Ministry of Environment and Forests;

And whereas the issue has been examined by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests;

And whereas the Central Government is of the opinion that the said notification should be amended with a view to preventing further ecological damages;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the said requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in paragraph 3, in subparagraph (2), for clause (iv), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(iv) Demolition or reconstruction of—

- (i) buildings of archaeological or historical importance;
- (ii) heritage buildings; and
- (iii) buildings under public use.

Explanation :- For the purpose of this clause iv, ‘public use’ shall include use for purposes of worship, education, medical care and cultural activities.

(v) All other activities with investment of five crore rupees or more:

Provided that activities involving investment of less than five crore rupees shall be regulated by the concerned authorities at the State or Union territory level in accordance with the provisions of subparagraph (2) of paragraph 6 of Annexure-I of this notification.”.

[F. No. J-17011/16/93-IAIII-Part-II]

V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O.114(E) dated the 19<sup>th</sup> February, 1991 and subsequently amended *vide* notification-

- (i) S.O.595(E) dated 18<sup>th</sup> August, 1994
- (ii) S.O.73(E) dated 31<sup>st</sup> January, 1997
- (iii) S.O.494(E) dated 9<sup>th</sup> July, 1997
- (iv) S.O.334(E) dated 20<sup>th</sup> April, 1998
- (v) S.O.873(E) dated 30<sup>th</sup> September, 1998
- (vi) S.O.1122(E) dated 29<sup>th</sup> December, 1998
- (vii) S.O.988(E) dated 29<sup>th</sup> September, 1999
- (viii) S.O.730(E) dated 4<sup>th</sup> August, 2000
- (ix) S.O.900(E) dated 29<sup>th</sup> September, 2000
- (x) S.O.329(E) dated 12<sup>th</sup> April, 2001
- (xi) S.O.988(E) dated 3<sup>rd</sup> October, 2001
- (xii) S.O.550(E), dated 21<sup>st</sup> May, 2002
- (xiii) S.O.52(E), dated 16<sup>th</sup> January, 2003